राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–18/2024 2392

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक– 29.5.24

विषय :– अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 320 दिनांक 07.02.2024 एवं पत्रांक 811 दिनांक 02.05.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन में निम्न कागजात उपलब्ध नहीं है, जिनके आभाव में रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है :–

1. **प्रखंड जन्दाहा ग्राम पंचायत हरप्रसाद के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन के पूर्व पत्रांक 320 दिनांक 07.02.2024 में पूर्व में प्राप्त नोटिस की निर्गत तिथि 15.01.2024 है जिसमें 11 सदस्यों का प्रति हस्ताक्षर है, जबकि पत्रांक 811 दिनांक 02.05.2024 के माध्यम से संलग्न नोटिस की निर्गत तिथि 13.01.2024 है, साथ ही दोनों का पत्रांक 01 है, इस नोटिस में 09 सदस्यों का प्रति हस्ताक्षर है तथा 02 सदस्यों वार्ड संख्या 12 एवं 13 के नोटिस का तामिला पंचायत सचिव द्वारा कराया गया है, इसके दरवाजे पर चस्पा किया गया है, अंकित है एवं 02 सदस्यों का तामिला संलग्न नहीं है।

उरोक्त के अतिरिक्त इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया जाता है कि पूर्व प्रेषित नोटिस का तामिला तथा बाद में प्रेषित नोटिस के तामिला में कई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर अंकित किया गया है तथा ऐसा प्रतित होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा दिनांक 13.01.2024 की तिथि अंकित की गई है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित की जाय, साथ हीं उक्त वांछित कागजात पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। ताकि संदर्भित रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारित की जा सके।

विश्वासभाजन
29/5/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

29.5.24